

इसे वेबसाइट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राज्यपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250 ]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 अप्रैल 2018—वैशाख 8, शक 1940

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2018

क्र. एफ 2-2-2018-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016)की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13 अप्रैल 2018 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में स्कूल शिक्षा विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची “एक”

(1) स्कूल शिक्षा विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अलका श्रीवास्तव, अपर सचिव.

## अनुसूची “दो”

## विभाग का नाम—स्कूल शिक्षा विभाग

श्रेणी का नाम	पद/संवर्ग के लिये स्वीकृत पद	सीधी भरती योग	निःशक्तजनों के चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी में छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप	
				दृष्टि	बहरे और कम	लोकोमीटर	बहुविकलांग			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक, लोक शिक्षण (द्वितीय श्रेणी)	192	192	12	03	03	03	03	12	-
	योग . .	192	192	12	03	03	03	03	12	-

अलका श्रीवास्तव, अपर सचिव.